



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में 'जहां है जैसी है जो है जैसी है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।
अचल संपत्तियों का विवरण

क्र.सं.	देनदारों/ शाखा का नाम/ खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि(रक्षित ऋण) डिमाण्ड नोटिस तिथि कबजे की दिनांक	आरक्षित मूल्य रु. थरोहर जमा राशि रु. बिड वृद्धि राशि रु.	नीलामी दिनांक, ट्रंपाई जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं निरीक्षण दिनांक
1	श्रीमती मीना कंवर पत्नी श्री देवी सिंह, श्री अमित सिंह पुत्र श्री देवी सिंह एवं श्री अंकित सिंह पुत्र श्री देवी सिंह निवासी बी-8, नर्सिंग होस्टल के पास, एस एम एस होस्पिटल जयपुर, राजस्थान, सेन्ट होम ऋण खाता सं.3961357468 शाखा- टॉक रोड, जयपुर खाता सं.- 3054010323 IFSC Code: CBIN0281478	जिन सभी आवश्यक भागों से मिलकर यह संपत्ति बनती है - श्रीमती मीना कंवर पत्नी श्री देवी सिंह के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति प्लॉट संख्या 10, रामकुटीर कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर- 302017 के अंश है, कुल क्षेत्रफल 195.90 वर्गगज है संपत्ति के हक दस्तावेजों के अनुसार स्थिति एवं दिशाएं निम्न है - उत्तर में - अन्य भूमि, दक्षिण में - 40 फीट रोड, पूर्व में - प्लॉट संख्या 11, पश्चिम में - प्लॉट संख्या 9	दिनांक 31.10.2019 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रुपये 64,12,559/- (रुपये चौंसठ लाख बारह हजार पांच सौ उनसठ मात्र) दिनांक 31.10.2019 + आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त	रु. 33,00,000/- रु. 3,30,000/- रु. 10,000/-	26.02.2020, 25.02.2020, 24.02.2020
2	श्रीमती नेहा रामनानी पुत्री श्री डालू मल निवासी प्लाट संख्या 10/205, सेक्टर 10, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) सेन्ट होम ऋण खाता सं.2978488592 शाखा- संसार चंद्र रोड, जयपुर खाता सं.- 2978488592 IFSC Code: CBIN0281065	जिन सभी आवश्यक भागों से मिलकर यह संपत्ति बनती है - श्रीमती नेहा रामनानी पुत्री श्री डालू मल के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति प्लॉट संख्या एस 1, द्वितीय तल, प्लॉट संख्या 55-ए, कुशल नगर, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान) है, जिसका बिल्ट अप एरिया 800.00 वर्गफीट है संपत्ति के हक दस्तावेजों के अनुसार स्थिति एवं दिशाएं निम्न है - उत्तर में - सड़क 30 फीट, दक्षिण में - अन्य प्लॉट, पूर्व में - भू.सं. 54, पश्चिम में - भू.सं. 55	दिनांक 31.05.2019 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रुपये 11,66,517/- (रुपये ग्यारह लाख छियासठ हजार पांच सौ सत्रह मात्र) दिनांक 30.05.2019 + आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त	रु. 12,30,000/- रु. 1,23,000/- रु. 10,000/-	25.02.2020, 24.02.2020, 20.02.2020

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:- 1. नीलामी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय:- 26.02.2020 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक के मध्य (बन्द होने के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समयवृद्धि वाच्योश के साथ) ई-नीलामी 'जहां है जैसी है' वहां जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां शाखा में जमा कराने हेतु अंतिम दिनांक 25.02.2020 को सांय 04:00 बजे तक होगी। 3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया की विस्तृत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये यासे की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पार्टल <https://www.bankeauctions.com> पर पंजीकृत कर तथा निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता ई-नीलामी हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उडोग विहार, फेज-2, गुडगांव, श्री विनोद चौहान समर्पक नं. 09813887931 से प्राप्त कर सकते हैं गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उडोग विहार, फेज-2, गुडगांव हेल्पलाइन नं. +91-1244302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com 5. थरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक 25.02.2020 तक या उससे पूर्व निम्न दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त, इच्छुक बोलीदाता/क्रैता को वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS चालान की प्रति 2. पैन कार्ड की प्रति 3. पहचान का साक्ष्य (KYC) स्वस्थताक्षरित वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति 4. पते के साक्ष्य की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त किये जाने योग्य होगी। 7. थरोहर राशि सफलतम/उच्चतम बोलीदाता की दृष्टि में समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा विक्रय सम्पूर्ण होने के 7 दिवसों के भीतर बोली दाता को जमायेगी थरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगी। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक 24.02.2020 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा के माध्यम से कर सकते हैं। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता जो उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) ऑनलाइन नीलामी बन्द होने तक जमा करायेंगे उसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता बोली राशि का 25% (पूर्व में भुगतान की गई थरोहर राशि को शामिल करते हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही तुरन्त तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करवायेगी। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार विक्रय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। 11. समस्त प्रभार किसी भी अधिकरण को बकाया, परिवहन, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीकरण के खर्च इत्यादि जो भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे। 12. यदि ऋणी बैंक को कुल बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निरस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थान/रद्द करने का अधिकार आरक्षित रहता है। 14. संपत्ति से संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया टॉक रोड शाखा प्रबंधक जयपुर अचल सिंह चौहान, मो. 9672993105 शाखा ई-मेल bmjaip1478@centralbank.co.in एवं संसार चंद्र रोड शाखा प्रबंधक, जयपुर डॉ. हिमांशु गुप्ता, मो. 8696930999, शाखा ई-मेल bmjaip1065@centralbank.co.in मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उडोग विहार, फेज-2, गुडगांव से सम्पर्क कर सकते हैं।

सर्पफैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयों/जमानदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।

दिनांक: 22.01.2020, स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया